राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 636/2024

राकेश कुमार मीना –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 20.03.2024
<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह/धीरज गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में सर्वेयर के पद पर कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, दौसा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2021 (अनुलग्नक ए–2) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण खनि अभियन्ता राजसमंद–I से सहायक खनि अभियन्ता दौसा कर दिया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 12.10.2021 (अनुलग्नक ए–3) द्वारा कार्यग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक ए–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सहायक खनि अभियन्ता दौसा से खनि अभियन्ता भरतपुर बिना प्रशासनिक आवश्यकता के हेरान परेशान करने की नियत से किया गया। अपीलार्थी के पिता की उम्र 64 वर्ष है, जो गंभीर कैंसर रोग बीमारी से ग्रस्ति है, जिनका इलाज सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर व सतोकबा दुलर्भ अस्पताल में चल रहा है (अनुलग्नक–4)।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक ए–1) अपीलार्थी के संबंध में अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पद पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी दिनांक 12.10.2021 से लगातार सहायक खनिज अभियन्ता कार्यालय दौसा में कार्यरत है, विभागीय आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को राज्यहित में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किया गया है तथा इस आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा अवैधानिकता नहीं है। अपीलार्थी अपनी पारिवारिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं पर स्थानान्तरण निरस्त किये जाने का आधार नहीं है, माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने इन आधारों पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप को उचित नहीं माना है। अपीलार्थी अपनी समस्याओं के संदर्भ में विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अपील दायर की, जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण सहायक खनि अभियन्ता दौसा से खनि अभियन्ता भरतपुर किया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थल पर दिनांक 12.10.2021 से कार्यरत है। स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा अपीलार्थी को राज्यहित में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किया गया है तथा इस आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि एवं विधि विरूद्धता परिलक्षित नहीं होती है। राज्य सरकार प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात कहीं भी स्थानान्तरण करने के लिए स्वतंत्र है और नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएं कब और कहां ले। आलौच्य स्थानान्तरण आदेश में किसी भी तरह की अनियमितता एवं दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अतः इस संबंध में हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य